48106490
9/9

Office of the Accountant General (A&E) Andhra Pradesh & Telangana
INWARD
19 4 SEP 2016
Hyderabad-500 004

Office of the Accountant General (A&E)-II, UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/U.P./ 611 **Dt: 22/08/2016**

448492
19/9/16.

To,

Accountant General (A&E), Andhra Pradesh
Saifabad
Hyderabad - 500004

Subject:- (1)G.O. No. 16/2016/Sa-3-476/X-2016-301/2000 T.C. dt. 14/06/2016 reg.

I am forwarding herewith copies of office memo. No. G.O. 16/2016/Sa-3-476/X-2016-301/2000 T.C. dated 14/06/2016 on the subject cited above for necessary action please.

Encl:- As stated above OGP

Yours Faithfully,

Prasad

Accounts Officer/Pension

उत्तर प्रदेश शासन वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 संख्या-16/2016/सा-3-476/दस-2016-301/2000 टी0सी0 लखनऊ : दिनॉक : 14 जून, 2016	Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 No.16/2016/Sa-3-476 /X-2016-301/2000 T.C. Dated : Lucknow : 14 June , 2016
कार्यालय-ज्ञाप	Office - Memorandum
विषयः-राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।	Subject:Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-23/2015/सा-3-जी0आई0-21/दस-2015-301/2000 टी0सी0, दिनॉक 16 दिसम्बर, 2015, जिसके द्वारा महँगाई राहत दिनॉक 01 जुलाई, 2015 से 119 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय द्वारा औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 16 दिसम्बर, 2015 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनॉक 01 जनवरी, 2016 से महंगाई राहत की 06 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।	The undersigned is directed to refer to the office memorandum No. 23/2015/Sa-3-G.I.-21/X-2015-301/2000 T.C., dated 16 December, 2015 on the above mentioned subject, sanctioning additional installment of dearness relief with effect from 01 July, 2015 and to say that the Governor is pleased to further enhance by 06 percent, with effect from 16 December, 2015 the rate of dearness relief admissible to all civil/ family pensioners of this Government to compensate them for the rise, in the meanwhile, in the average consumer price index.
2- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 06 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर 119 प्रतिशत से बढ़कर 125 प्रतिशत हो जायेगी।	2- As a consequence of the above-mentioned 06 percent rise, the dearness relief payable on the pension will rise from existing 119 percent to 125 percent with effect from 01 January, 2016. --2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

SSADR-66

3- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।	3- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.
4- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन संख्या-12/2016/सा-3-जी0आई0-03/दस-2016-301/2000, दिनॉक 26 अप्रैल, 2016 द्वारा जारी कर दिया गया है।	4- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings/ corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners / family pensioners have been issued vide endorsement number- 12/2016-G-3-G.I.-03/X-2016-301/2000, dated 26 April, 2016.
5- यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।	5- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.
6- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय	6- As per orders issued in O.M. No. A - 1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।	authorities on the basis of this office memorandum alone.
7- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे ।	7- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.
नील रतन कुमार विशेष सचिव, वित्त।	Neel Ratan Kumar Special Secretary, Finance.
सेवा में, (1)- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। (2)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (3)-महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	To, (1)- All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list. (2)- Accountant General (Account & Entitlement)-1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh] Allahabad. (3)- Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

Pl circulate the order dt 14.6.2016
9.8.16

Faid
9.8.16

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।